(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73/2020

दायर दिनांकः 08.10.2020

उनवान

1— नेमीचंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— नरवरसिंह पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3— बाबुलाल पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— बालमुकनंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1— अनार पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— अरूण पुत्र रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3— कमलीबाई बेवा पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— चेनसिंह पि. जवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

5— जगदीश पि. जवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

6— जवानिया पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

7— पुजा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

8— प्रेमबाई पुत्री जवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

9— पवन पुत्र रामलाल जाति नट निवासी बिजनियाखेडी तहसील पिडावा

10— बनेसिंह पुत्र जवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

11— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

12— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

13— मेहरबान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

14— राजाराम पुत्र जवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

15— रामकन्या पुत्री पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

16— लालचंद पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

17— लीलाबाई पुत्री ईश्वरचंद पत्नि घनश्याम जाति नट नि. देवली तहसील रामगंजमंडी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

18– वैजयन्तीबाई पत्नि नरवरसिंह जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

19–शिल्पा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

20–सपना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

21– सलेमान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

22–सायताबाई पुत्री इसारिया पत्नि बापुलाल जाति नट नि. कुमडा तहसील राजगढ़

23–सोना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

24–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल राज.

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा–91,88,63 (ए), 209 राज.टी.एक्ट बाबत् विलोपित किये जाने नाम व हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 एवं जोडे जाने नाम वादीगण के हिस्से मे वास्ते घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति अभिभाषकगण –
अभिभाषक वादीगण – श्री मसूद अहमद खान
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 23 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 24 – पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 15.05.2026**

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जामबंदी सर्वत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थाई ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या–43 व पुरानी खाता संख्या–36 की आराजीयात खसरा नम्बर–45 रकबा 2.2131 हैक्टेयर माल दोयम व खसरा नम्बर–46 रकबा 0.1644 हैक्टेयर माल दोयम कुल किता 2 कुल रकबा 2.3775 हैक्टेयर स्थित है। मुताबिक जामबंदी सर्वत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थाई ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या–44 व पुरानी खाता संख्या–35 की आराजीयात खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

नम्बर–131/99 रकबा 0.5059 हैक्टेयर माल दोयम व खसरा नम्बर–133/23 रकबा 0.7588 हैक्टेयर माल दोयम कुल किता 2 कुल रकबा 1.2647 हैक्टेयर स्थित है। दावे मे इन आराजीयात को वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है नकल जमाबंदी संलग्न है। दावे की मद सं. 1 में वर्णित खाता सं. 43/36 एवं ग्राम घाटाखेडी में स्थित वादीगण की तीनो बहनो निर्मला, लीलाबाई. सायताबाई प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा कुल 3/60 हिस्सा है। जिसे तीनो बहिनो ने उनका हिस्सा वादीगण के हक में छोडकर उस हिस्से का कब्जा वादीगण को सम्भला दिया है। दुर्भाग्य से बहन निर्माला का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर उसके पति प्रतिवादी नम्बर 9 पवन का नाम दर्ज हो रहा है। मगर उसका कोई हक या कब्जा नहीं है। प्रतिवादी नम्बर–17 लीलाबाई एवं प्रतिवादी नम्बर–22 सायताबाई को उनका एवं निर्मला का हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने व जोडे जाने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इस तरह से वादीगण को प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होगये है। इसलिए वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के नाम रिकार्ड से हटवाये जाकर कम करवाने एवं तदानुसार दुरूस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे की मद सं. 2 में वर्णित खाता सं. 44/35 एवं ग्राम घाटाखेडी में स्थित वादीगण की तीनो बहनो निर्गला, लीलाबाई. सायताबाई प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा कुल 3/7 हिस्सा वादीगण के हक में छोडकर उस हिस्से का कब्जा वादीगण को सम्भला दिया है। दुर्भाग्य से बहन निर्माला का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर उसके पति प्रतिवादी नम्बर 9 पवन का नाम दर्ज हो रहा है। मगर उसका कोई हक या कब्जा नहीं है। प्रतिवादी नम्बर–17 लीलाबाई एवं प्रतिवादी नम्बर–22 सायताबाई को उनका एवं निर्मला का हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने व जोडे जाने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इस तरह से वादीगण को प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होगये है। इसलिए वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के नाम रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(9)

से हटवाये जाकर कम करवाने एवं तदानुसार दुरूस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे का कारण गत सोमवार को पैदा हुआ जब वादीगण ने हल्का पटवारी से प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के नाम खाते से कम करने एवं उनके हिस्से की आराजी वादीगण के नाम हिस्से बराबर दर्ज करने का आग्रह किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में दावा पेश करने का परामर्श दिया अतः दावा प्रस्तुत है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार को लेण्ड होल्डर होने की वजह से जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल फार्मल पक्षकार पार्टी बनया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा स्वीकार एवं डिकी फरमाया जाकर –

अ– वादीगण को दावे की मद नं. 1 में एवं खाता सं. 43/36 में वर्णित घाटाखेडी तहसील सुनेल मे स्थित आराजी से प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के हिस्से 1/60–1/60 यानि 3/60 हिस्सा आराजी का भी खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के खाते में जोडे जाने एवं इसी तरह मद नं. 2 में एवं खाता सं. 44/35 में वर्णित घाटाखेडी तहसील सुनेल मे स्थित आराजी के सम्पूर्ण रकबे के खातेदार घोषित किया जाने दोनो खातो से प्रतिवादी सं. 9, 17, 22 के नाम कम किये जाने तदानुसार रिकार्ड में दुरूस्ती एवं अमल दरामद करने की डिकी प्रदान करने की कृपा करे।

ब– अन्य सहायता जो भी न्यायोचित एवं आवश्यक हो धारा 209 राज, टी. एक्ट के प्रावधानो की रोशनी में वादीगण को प्रदान किये जाने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 23 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुए जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 02.08.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रतिवादी सं. 9, 17, 22 की ओर से दिनांक 21.10.2021 को इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि दावे की मद नम्बर 1 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर 2 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–3 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

झालावाड़ राज.

निवासी चछलाई तहसील सुनेल

Scanned with OKEN Scanner

करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–3 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–4 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–4 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–5 कानूनी है और स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–6 कानूनी है और जवाब की मोहताज नहीं है। दावे की मद नम्बर–7 कानूनी है औ जवाब की मोहताज नही है। दावे की अंत मे चाही गई प्रार्थना स्वीकार है प्रार्थना की उप मद अ में दर्ज सभी तथ्य स्वीकार है। खाता सं. 43/36 में वर्णित घाटाखेडी तहसील सुनेल मे स्थित आराजी से हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 के हिस्से 1/60–1/60 यानि 3/60 हिस्सा आराजी का भी खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के खाते में जोडे जाने एवं खाता सं. 44/35 में वर्णित घाटाखेडी तहसील सुनेल मे स्थित आराजी के सम्पूर्ण रकबे के खातेदार घोषित किया जाने दोनो खातो से प्रतिवादी सं. 9, 17, 22 के नाम कम किये जाने तदानुसार रिकार्ड में दुरूस्ती एवं अमल दरामद किये जाने मे हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 को किसी भी प्रकार की आपत्ति व ऐतराज नही है वादीगण का दाव डिकी किये जने में हम प्रतिवादीगण की पूरी सहमति है। ब– प्रार्थना की उप मद ब स्वीकार हे। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदनं है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद डिकी किये जाने की कृपा की जाये।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 43, 44 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 1 व 2, नामा.सं. 263 दिनांक 05.08.2015 प्रदर्श 3, नामा.सं. 272 दिनांक 20.04.2016 प्रदर्श 4 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बालमुकन्द पि. ईश्वरचन्द, नेमीचन्द पि. ईश्वरचन्द, जानकीलाल पि. लक्ष्मण, बाबूलाल पि. ईश्वरचन्द, नरवरसिंह पि. ईश्वरचन्द PW 1 to PW 5 के शपथपत्र/बयान कराये।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने ग्राम घाटाखेड़ी तहसील सुनेल की खाता संख्या 43/36 की आराजियात जिसका उल्लेख दावे के पैरा नं. 1 में किया गया है दावा पेश किया है। जिसमें वादी नेमीचन्द का 7/240 हिस्सा, वादी नरवरसिंह का 7/240 हिस्सा, वादी बाबुलाल का 7/240 हिस्सा, वादी बालमुकन्द का 7/240 हिस्सा दर्ज है। वादीगण की तीनों बहनो निर्मलाबाई लीलाबाई सहायता बाई प्रत्येक का 1/60–1/60 यानी कुल 3/60 हिस्सा है तीनों बहनों ने उनका हक व हिस्सा पूर्व में ही वादीगण के हक में छोड़ कर वादीगण को कब्जा संभला दिया था। तीनों बहने अपने–अपने सुसराल में रहती है। इसी दरमियान वादीगण की बहन निर्मलाबाई का देहान्त हो जाने पर उसके हिस्से पर प्रतिवादी नं. 9 पवन जो उसका पति है का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादी नं. 9 पवन, प्रतिवादी नं. 17 लीलाबाई, प्रतिवादी नं. 22 सहायताबाई को उनका हिस्सा वादीगण की खातेदारी में जौड़े जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से वादीगण प्रतिवादीगण नं. 9, 17, 22 के हिस्से के भी खातेदार टीनेन्ट हो गये है तथा रेकार्ड में दुरुस्ती करवा कर अमल दरामद करवाने के भी अधिकारी हो गये है। दावे के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम घाटाखेड़ी के संबंध में वादीगण ने दावा पेश किया है इस आराजी में वादी नेमीचन्द का 7/240 हिस्सा, वादी नरवरसिंह का 7/240 हिस्सा, वादी बाबुलाल का 7/240 हिस्सा, वादी बालमुकन्द का 7/240 हिस्सा दर्ज है। वादीगण की तीनो बहनो निर्मलाबाई, लीलाबाई, सहायताबाई का 1/7–1/7 हिस्सा है यानी कुल 3/7 हिस्सा है। तीनो बहनों ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के हक में छोड़ दिया है तथा कब्जा वादीगण को पूर्व में ही संभला दिया है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण की तीनों बहने अपने–अपने सुसराल में रहती है। इसी दरमियान वादीगण की बहन निर्मलाबाई का देहान्त हो जाने पर उसके हिस्से पर प्रतिवादी नं. 9 पवन जो उसका पति है का नाम दर्ज हो गया है। प्रतिवादी नं. 9 पवन, प्रतिवादी नं. 17 लीलाबाई, प्रतिवादी नं. 22 सहायताबाई को उनका हिस्सा वादीगण की खातेदारी में जौड़े जाने पर कोई

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से वादीगण प्रतिवादीगण नं. 9, 17, 22 के हिस्से के भी खातेदार टीनेन्ट हो गये है तथा रेकार्ड में दुरुस्ती करवा कर अमल दरामद करवाने के भी अधिकारी हो गये है। वादीगण को दावे की मद नं. 1 में वर्णित खाता संख्या 43/36 वाके ग्राम घाटाखेड़ी में प्रतिवादीगण नं. 9, 17, 22 का 1/60–1/60 यानी 3/60 हिस्सा आराजियात का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर यह आराजी वादीगण के खातेदारी में जोड़ी जायें। इसी प्रकार दावे की मद नं. 2 में वर्णित खाता संख्या 44/35 वाके ग्राम घाटाखेड़ी के सम्पूर्ण रकबे का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाये। उक्त दोनो खातों 43/36 व 44/35 से प्रतिवादीगण नं. 9. 17. 22 का नाम कम किया जाकर। इसी अनुसार रिकार्ड में दुरुस्ती की जाकर अमल दरामद किया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार व डिक्री किये जाने की कृपा करे। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज में पेश किये है जिन्हे प्रदर्शित कराया है। मौखिक साक्ष्य में PW1 TO PW5 के बयान कराये है। इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अपना वाद प्रमाणित किया है। प्रतिवादीगण नं. 9, 17, 22 ने इकबाली जवाब पेश किया है शेष प्रतिवादीगण बाहजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है तथा उन्होने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया है व अपनी मोन स्वीकृति दी है। अतः वादीगण की ओर लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार एवं डिक्री फरमाये जाने की कृपा की जाये।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण कर कथन है कि ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं0 43 व 44 में उनकी तीनो बहनो– लीलाबाई, निर्मलाबाई व सहायता बाई ने अपने अपने हिस्से का वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा संभला दिया था **लेकिन वादीगण द्वारा ना तो हक त्याग करने की कोई तिथि/वर्ष या स्थान का अंकन किया है और ना ही कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र पत्रावली में पेश किया है। हक त्याग करने का केवल कथन मात्र किया है। भारतीय कानुन के अनुसार**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

किसी अचल संपति में अपने हक व अधिकारो का त्याग लिखित में, दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो गवाहो की उपस्थिति में उचित स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1) के अनुसार सौ रूपये से अधिक मूल्य की अचल संपति के हस्तांतरण या अधिकार सृजन हेतु दस्तावेज का लिखित और पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार अचल संपति के जिन दस्तावेजो का धारा 17 के अधीन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यदि वे अपंजीकृत है तो उनका कोई कानुनी प्रभाव नही होगा। ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हक या अधिकारो का अन्तरण नही किया जा सकता है। ऐसे दस्तावेज को केवल कोलटेरल/संपार्श्विक पर्पज के लिये ही साक्ष्य में ही ग्रहण किया जा सकता है, ना कि संपति से जुडे किसी लेन देन या अधिकार के सबूत के रूप मे न्यायलय में स्वीकार किया जायेगा।

7. भारतीय हिन्दु विधि में केवल संयुक्त परिवार की संपति में एक सहदायिक अपने निहित हिस्से का अन्य सभी सहदायिको की सहमति से मौखिक रूप से हक त्याग कर सकता है लेकिन इसके लिये पुख्ता सबूतो या साक्ष्यो जैसे कि स्वतंत्र गवाह, रिकॉर्ड में नामांतण की प्रविष्टि, स्पष्ट हकत्याग कर्ता व अन्य सहदायिको की सहमति, रसीद आदि से साबित होना अनिवार्य है। संपति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 के तहत यदि कानून स्पष्ट रूप से लिखित दस्तावेज की मांग नही करता है तो मौखिक हस्तांतरण मान्य हो सकता है। भारत में मौखिक हकत्याग का मुद्दा कानूनी रूप से काफी जटिल है। और मजबूत साक्ष्य पर निर्भर करता है। केवल एक पक्ष द्वारा हक त्याग का कथन करने मात्र के आधार पर स्वीकार नही किया जा सकता है। यदि हक त्याग विलेख अपंजीकृत है तो विवाद उत्पन्न होने पर यह न्यायालय मे स्वीकार नही किया जावेगा।

8. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने रोशनबेन डेरैया बनाम हसीनाबेन 2021 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि जिस दस्तावेज के तहत किसी संपति पर अधिकार छोडा जाना है, उसे पंजीकाण अधिनियम के तहत

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

औपचारिक रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। जब तक दस्तावेज लिखित नही होगा तब तक ऐसे दस्तावेज़ को त्याग विलेख नही माना जायेगा।

हाल ही में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महत्वपुर्ण फैसलें में अभिनिर्धारित किया है कि विरासत में मिली संपति के लिये हक त्याग विलेख को कानुन की अदालत में स्वीकार्य होने के लिये पंजीकृत होना चाहिये। विरासत में मिली संपति के मामलो में केवल त्याग विलेख होना ही पर्याप्त नही है। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने के लिये हक त्याग विलेख को सक्षम अधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए।

9. माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा सुरेश बनाम वलसाला 2018 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि 100 रूपये से अधिक मूल्य की अचल संपति में एक सहदायिक द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट द्वारा सभी की सहमति से मौखिक हक त्याग किया जा सकता है लेकिन इसका साबित होंना आवश्यक है। कानूनी उलझनो से बचने के लिये ऐसा हक त्याग पत्र विलेख सामान्यतः लिखित व पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा ही अभिनिर्धारण **माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा गंगधार पनधारी हरदे बनाम उत्तम 2008 मामले** में किया गया है।

10. हस्तगत प्रकरण में लिखित हक त्याग पत्र, स्वतंत्र गवाहों एवं अन्य दस्तावेजो के अभाव में वादीगण की तीनो बहनो द्वारा बताये गये बिना तिथि के मौखिक हक त्याग को स्वीकार नही किया जा सकता है। **वादीगण की एक बहन निर्मलाबाई की मृत्यू हो कर फौती इंतकाल से पति पवन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज हो चूका है।** वादीगण की मां जडाब बाई का स्वर्गवास होना और उसके द्वारा अपने जीवन काल में वादीगण के पक्ष में मौखिक हक त्यागकर कब्जा छोडना भी साबित नही है। वादीगण का कथन है और साक्ष्य गवाहो से साबित भी है कि वादग्रस्त आराजी पर बरसो से सहखातेदार –माता जडाब बाई व तीनो बहनो के हिस्से पर अन्य सहखातेदार –वादीगण का ही कब्जा कास्त चला आ रहा है **लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपने विभिन्न निर्णयो में यह अभिनिर्धारित किया है कि शामलाती आराजी में एक सहखातेदार के विरूद्व अन्य सहखातेदार को ना तो प्रतिकूल कब्जे कास्त में माना जा सकता है और ना ही राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे कास्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 43 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 2.3775 है., एवं खाता सं0 44 किता 2 रकबा 1.2647 हेक्ट0 भूमि के संबंध में प्रति सं0 09, 17 व 22 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में अस्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

12. परिणामस्वरूप ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 43 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 2.3775 है., एवं खाता सं0 44 किता 2 रकबा 1.2647 हेक्ट0 भूमि के संबंध में प्रति सं0 09, 17 व 22 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(16)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73 / 2020

दायर दिनांकः 08.10.2020

उनवान

1— नेमीचंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— नरवरसिंह पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3— बाबुलाल पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— बालमुकनंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1— अनार पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— अरूण पुत्र रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3— कमलीबाई बेवा पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— चेनसिंह पि. जवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

5— जगदीश पि. जवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

6— जवानिया पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

7— पुजा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

8— प्रेमबाई पुत्री जवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

9— पवन पुत्र रामलाल जाति नट निवासी बिजनियाखेडी तहसील पिडावा

10— बनेसिंह पुत्र जवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

11— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

12— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

13— मेहरबान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

14— राजाराम पुत्र जवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

15— रामकन्या पुत्री पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

16— लालचंद पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(17)

17– लीलाबाई पुत्री ईश्वरचंद पत्नि घनश्याम|जाति नट नि. देवली तहसील रामगंजमंडी

18– वैजयन्तीबाई पत्नि नरवरसिंह जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

19–शिल्पा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

20–सपना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

21– सलेमान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

22–सायताबाई पुत्री इसारिया पत्नि बापुलाल जाति नट नि. कुमडा तहसील राजगढ़

23–सोना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

24–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल राज.

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा–91,88,63 (ए), 209 राज.टी.एक्ट बाबत् विलोपित किये जाने नाम व हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर–9, 17, 22 एवं जोडे जाने नाम वादीगण के हिस्से मे वास्ते घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति अभिभाषकगण –
अभिभाषक वादीगण – श्री मसूद अहमद खान|
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 23 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 24 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई.....X..... रूबरू.....X..... मिनजानित मुदई रूबरू ..... ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल के खाता सं. 43 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 2.3775 है., एवं खाता सं0 44 किता 2 रकबा 1.2647 हेक्ट0 भूमि के संबंध में प्रति सं0 09, 17 व 22 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है।

15/5/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

18/

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह ... ...X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयेह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner